

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 85 / 2019

तारीख रजु 25.6.2019

उनवान

अतरसिंह, अमरसिंह, रामसिंह पिसरान रामजीलाल जाति माली निवासी
सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली।

-----वादी

बनाम

किरोडी पुत्र फट्टू वगै. जाति माली निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला
करौली -----प्रतिवादी (06)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री शाहिद अली एडवाकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।


निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर
वकालतन एक दावा ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की भूमि खसरा नंबर
1010, 1012, 1025, 1028, 1933/2959, 1937, 1943, 1944, 2481,
2516 की स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए
नोटिस तलब किया। इसी दौरान वकील वादीगण के द्वारा
निवेदन किया कि वादीगण दावा नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस
में खारिज चाहा है।

अतः सायल का दावा मुकदमा नंबर 85/2019 अतरसिंह
बनाम किरोडी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक
27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

